



प्रेषक,

जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023**

विषय: पूंजीगत उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रु.136.449 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रां-331/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2022-23 दिनांक 15.07.2022 द्वारा पूंजीगत उपादान योजना-2012 हेतु पात्र इकाईयों को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष निम्नलिखित इकाईयों द्वारा रु.136.449 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा पात्र इकाईयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत हैं:-

क्र0सं0	इकाई का नाम	वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रु.लाख में)
1	मे0 शिव शक्ति थर्मो प्रा0लि0, सन्तकबीर नगर।	2016-17	24.769
	-तदैव-	2017-18	24.92
	-तदैव-	2018-19	15.49
	-तदैव-	2019-20	9.33
2	मे0 आर0एल0जे0इन्फ्रासीमेन्ट प्रा0लि0, मिर्जापुर।	2017-18	21.59
	- तदैव-	2018-19	12.64
3	मे0 विन्ध्यवासिनी राइस एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 महाराजगंज।	2017-18	2.76
	-तदैव-	2018-19	2.18
	-तदैव-	2019-20	0.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	मे0 बादशाह इन्टरनेशनल प्रा0लि0,कानपुर।	2019-20	3. 57
5	वी एन एस रूफिंग इन्डिया प्रा0लि0, चन्दौली।	2020-21	3.63
6	मे0 श्री रानी सती ओवरसीज प्रा0लि0, बाराबंकी।	2017-18	11.00
	तदैव-	2018-19	3.95
	कुल योग-		136.449 (रूपया एक करोड़ छत्तीस लाख चवालिस हजार नौ सौ मात्र)

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक-2885-60-800-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रु.294.41 करोड़ (रूपये दो सौ चौरानवे करोड़ इकतालीस लाख मात्र)में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त इकाईयों हेतु रु.136.449 लाख (रूपया एक करोड़ छत्तीस लाख चवालिस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा इस आशय की आख्या आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध करायी जाएगी।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,36,44,900(रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख चवालीस हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी** के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-128-X-2022-23 दिनांक 9.1.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2023/1825/77-6-2022-6002(099)/3/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर को उनके पत्रांक-331/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2022-23 दिनांक 15.07.2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1/4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव।